International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 28-01-2024, Accepted: 20-02-2024, Published: 14-03-2024
Volume 10, Issue 2, 2024, Page No. 8-11

ग्रामीण सुशासन की राह आसान करती सांसद आदर्श ग्राम योजना

कुलदीप चतुर्वेदी[1], सोना शुक्ला[2], अखिलेश कुमार शर्मा[3]
[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत
[2] प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत
[3] प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ओएसडी रूसा भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
लोकतांत्रिक सरकारों का उद्देश्य नागरिकों का समावेशी व सर्वांगीण विकास सुमेश्चित करना होता है, जिसके लिए आवश्यक तत्व है नीतियों एवं कार्यक्रमों का सटीक क्रियांवयन ताकि वे लाभार्थियों के जीवन में व्यवहारिक बदलाव लाकर विकास को सुनिश्चित कर सकें। जिसके लिए सुशासन एक आवश्यक व अनिवार्य घटक है। ग्रामीण क्षेत्र के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, 1 जिसके माध्यम ग्रामीण क्षेत्र में सुशासन की स्थापना का लक्ष्य रखते हुए जन हितैषी प्रशासन को विकसित करना है, जो लोगों की समस्याओं को गंभीरता से समझे व संवेदनशीलता एवं तत्परता से निराकरण का प्रयास करे, तकि स्वराज से सु–राज की राह आसान हो सके।

मूल शब्दः सुशासन, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सिटीजन चार्टर, ई–शासन, उत्तरदायित्व

किसी भी राष्ट्र या समाज के साधारभूत घटक खुशहाली, शांति, व समृद्धि समावेशी विकास पर आधारित हैं, वर्तमान समय की माँग यह है कि समृद्ध का समावेश हो, विकास के अवसरों की समानता हो साथ ही पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन सुन सुनिश्चित हो।[2] भारत को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, भारत की 68% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है।[3] जो कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं, आय अर्जक संपत्तियों व संसाधनों के अभाव के परिणामस्वरूप विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड पा रहे हैं, अर्थात समाज या राष्ट्र के विकास का आधार ग्रामीण समाज का पुनर्निर्माण करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।[4]
हमारा अनुभव प्रमाणित करता है कि सामुहिक जीवन उस अवस्था में सफल एवं आनंदपूर्ण होता है, जब इसकी रचना छोटे–छोटे घटकों में की जाती है, क्योंकि छोटे घटकों में जीवन पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है, ग्रीन के प्राचीन नगर राज्य तथा भारत के ग्राम पंचायत समूह सशक्त जीवन के सर्वांगीण विकास के आधार स्तंभ है।[5]

भारत में ग्राम स्वराज की परंपरा प्राचीनतम रही है. भारतीय लोकतंत्र में विकास का सार्वभौमिक स्वरूप पूर्णरुपेण ग्रामीण परिवेश पर न केवल पल्लवित होता है, अपितु निर्भर भी करता है, भारत में पंचायती राज को एक जीवन आदर्श माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं अधिकतम लोगो का सर्वागीण विकास करना है।[6]

विश्लेषणः सांसद आदर्श ग्राम योजना ने किस प्रकार ग्रामीण प्रशासन को लोककल्याणकारी स्तरूप प्रदान करते हुए सुशासन की राह मजबूत की, इसको रेखांकित करने के लिए वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के 4 आदर्श ग्राम यथा जयापुर, परमपुर,डोमरी व नागेपुर[7] का भौतिक निरीक्षण करके लोगों से साक्षात्कार व अनुसूची के माध्यम संवाद स्थापित करके प्राप्त आंकडों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया।[7]
ग्राम सभा की नियमित बैठक होती है।

(अ) हॉ (ब) नही

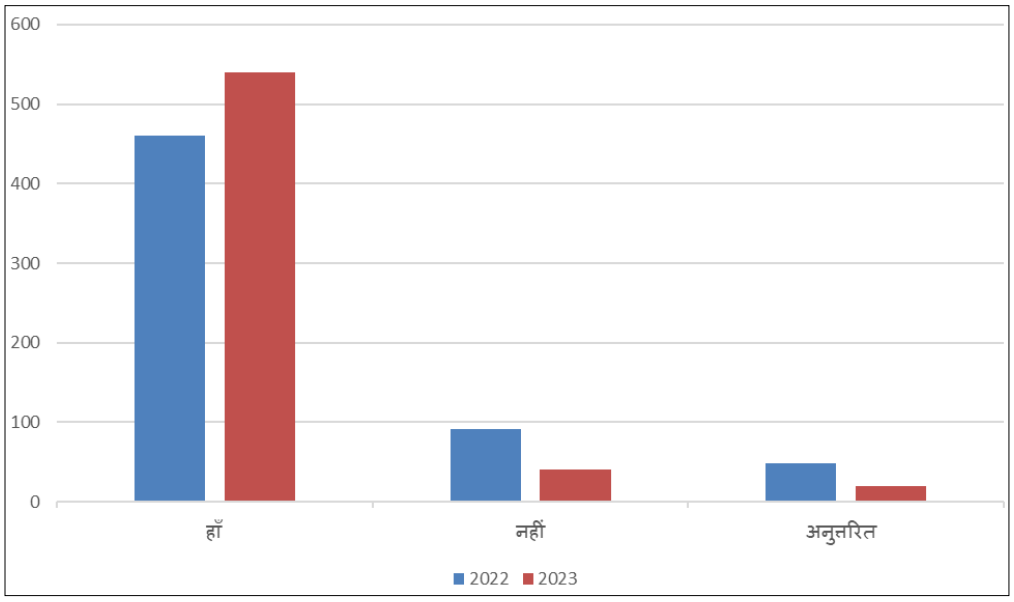

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हॉ	460	76.66
नहीं	92	15.33
अनुत्तरित	48	8.00
योग	600	100.00

वर्ष 2022

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हॉ	540	90.00
नहीं	40	6.66
अनुत्तरित	20	3.33
योग	600	100.00

वर्ष 2023

आँकड़ों से प्राप्त हुआ है कि गांव में नियमित ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में 2022 में 460 उत्तरदाताओं ने हां कहा जबकि 2023 में 540(90%) उत्तरदाताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि ग्राम सभा की नियमित बैठक आयोजित होती है खास बात या सामने आयी 2022 में 76.66% लोग नियमित बैठक की बात स्वीकार करते थे वही 2023 में बढ़कर यह संख्या 90% हो गई।

➢ ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है।

इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में उत्तरदाताओं द्वारा निम्न जानकारी प्राप्त हुई –

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A 1 बार	66	11.00
B 3 बार	163	27.11
C 4 बार	268	44.66
D कभी नहीं	39	6.50
E अनुत्तरित	64	10.66
योग	600	100.00

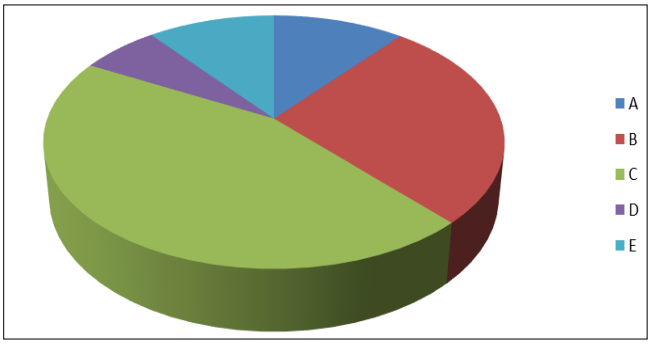

पाई चार्ट

ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में उत्तरदाताओं प्राप्त जानकारी के अनुसार 27.11% ग्राम सभा की बैठक तीन बार होने की बात स्वीकार करते हैं जबकि 44.66% उत्तरदाता ग्राम सभा की बैठक वर्ष में चार बार आयोजित होने की बात स्वीकार करते हैं।

ग्राम सभा की बैठक सिर्फ एक बार आयोजित होने के समर्थन में सिर्फ 11% उत्तरदाता थे, जबकि ग्राम सभा की बैठक कभी भी न होने की बात करने वालों की संख्या सिर्फ 6% है इसका कारण हो सकता है कि ग्राम सभा की बैठक की जानकारी इन्हें न प्राप्त हो पाती हो, इसके लिए पंचायत को ई–शासन के माध्यम से मोबाइल पर संदेश भेजने की व्यवस्था करना चाहिए, ताकि गांव के सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके व सभी ग्रामवासी स्थानीय स्वशासन यज्ञ में मुख्य भूमिका का निर्वहन कर सकें।

➢ ग्राम सभा की बैठक की जानकारी कैसे प्राप्त होती हैं

जानकारी	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
A लोगों द्वारा	137	22.83
B ग्राम पंचायत की नोटिस बोर्ड द्वारा	188	31.33
C मोबाइल पर संदेश	232	38.66
D जानकारी प्राप्त नहीं होगी	43	7.16
योग	600	99.98

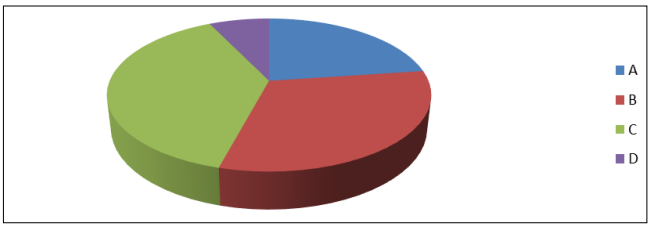

उपर्युक्त प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि 38. 66% लोगों को मोबाइल पर संदेश के माध्यम ग्राम सभा की बैठक की जानकारी प्राप्त होती है जबकि 31.33% लोगों को पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर जानकारी प्राप्त होती है, जबकि 22.83% उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें लोगों द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, एवं 7.16% लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है।

सूचना और संचार के युग में जानकारी का प्रसार करना आसान हुआ है ऐसे में मोबाइल द्वारा संदेश व जानकारी भेजना सर्वाधिक आसान, समयसाध्य व मितव्ययी साधन है, ग्रामों में सर्वाधिक लोगों तक जानकारी मोबाइल से ही प्रदान की जा रही है, फिर भी 22.83% उत्तरदाताओं को मानना है कि उन्हें लोगों द्वारा जानकारी मिली है, व 7.16% लोगों का मानना है कि उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके समाधान के लिए यहॉ ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर लोगों के मोबाइल पर समूह बना दिए जाएं ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके कुछ लोगों के पास मोबाइल न होने की दषा में एक नियत तिथी पर बैठक का आयोजन हो जिससे जानकारी अधिकतम लोगों को हो।

➢ पंचायत के कार्यों की सूचना आपको कैसे मिलती है।

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A लोगों द्वारा	112	18.66
B नोटिस बोर्ड द्वारा	118	19.66
C मोबाइल पर संदेश	254	42.33
D पता नहीं चलता	80	13.33
E अनुत्तरित	36	6.00
योग	600	99.98

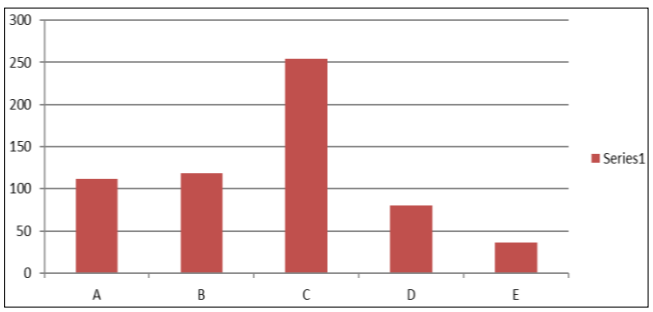

उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में 42.33% उत्तरदाताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें मोबाइल पर संदेश के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। जबकि 18.66% उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें लोगों द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। 19.66% उत्तरदाता मानते हैं कि उनकी जानकारी का स्रोत पंचायत की नोटिस बोर्ड होती है, जबकि 13.33% उत्तरदाताओं की पंचायत के कार्य की जानकारी प्राप्त होने की बात को अस्वीकार किया है, एवं 6% लोगों ने जवाब भी नहीं दिया।

यहाँ भी देखने को मिलता है कि सर्वाधिक लोगों तक जानकारी का स्रोत मोबाइल ही है, व उसके बाद पंचायत का नोटिस बोर्ड, यह आंकड़े सुखद स्थिति उत्पन्न करते हैं हमारी पंचायतें ई–शासन के माध्यम से स्वशासन को प्रभावी बनाने को दृढसंकल्पित प्रतीत होती है।

13.33% उत्तरदाताओं में जानकारी प्राप्त न होने की बात को स्वीकार किया है इसका कारण कार्य या व्यवसाय के लिए गांव से बाहर रहना, राजनीति विद्वेष, गलत जानकारी देना भी हो सकता है, फिर भी पंचायत को अधिकतम लोगों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि स्वशासन से सुराज को प्राप्त किया जा सके।

➢ विभागों के सिटीजन चार्टर के अनुरूप समय पर ढंग से सेवा प्रदायगी की जाती है

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हॉ	382	63.66
नहीं	218	36.33
योग	600	100.00

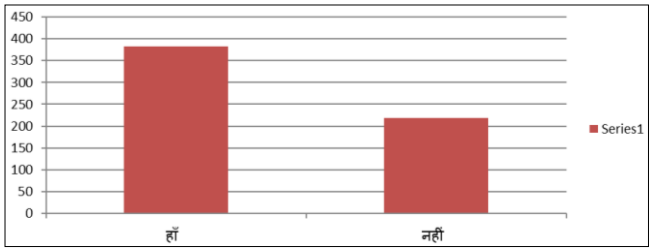

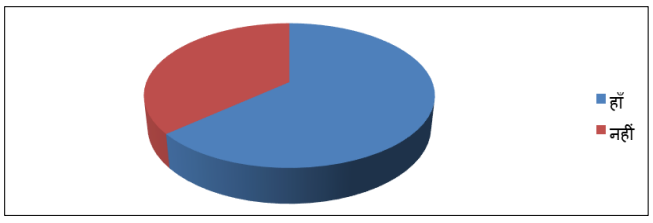

लोकतांत्रिक स्थानीय शासन की कसौटी उत्तरदायी जवाबदेही शासन व्यवस्था है, इसके लिए आवश्यक है कि शासन की योजनाओं का क्रियांवयन सुनिष्चित करके लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ प्रदान किया जाना चाहिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है कि ग्रामों को आदर्श स्थानीय स्वशासन व विकेंद्रीकरण का केंद्र बनाया जाए इसी परिप्रेक्ष्य में जानकारी प्राप्त करने पर 382 उत्तरदाताओं (अर्थात 63.66%) ने स्वीकार किया की सिटिजन चार्टर के अनुरूप ग्राम पंचायत के द्वारा समयबंद्ध सेवाओं की प्रदायगी की जाती है, परंतु 218 उत्तरदाताओं (36.33%) ने समयबद्ध सेवाओं की प्रदायगी को अस्वीकार किया, इस संदर्भ में जातिवाद, चुनावी रंजिष जैसे तत्वों के कारण सेवा की प्रदायगी में विलंब किया जाता है, पंचायतों को सभी तक सेवाओं की समयबंद्ध प्रदायगी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

सरपंच गांव के विकास के लिए कोई नई योजना/कार्यक्रम बनाते हैं तो ग्राम सभा के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखते हैं–

जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हॉ	371	61.83
नहीं	229	38.16
योग	600	100.00

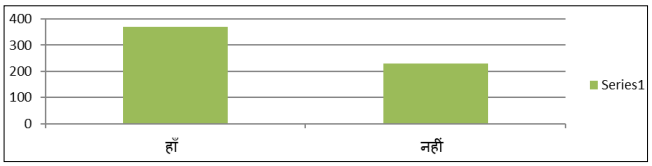

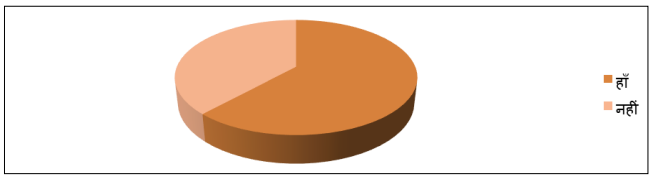

स्थानीय स्वशासन का आधार अधिकतम लोगों की सहभागिता होती है, जितने अधिक लोग गांव के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे उतना ही प्रभावी स्थानीय विकास होगा।

61.83% उत्तरदाताओं ने इस बात पर सहमति प्रदान की कि पंचायत द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों को बनाते समय ग्राम सभा का अनुमोदन लिया जाता है, जो एक सुखद वह उत्साहजनक स्थिति है, जबकि 38.16% लोगों का मानना है कि अनुमोदन नहीं लिया जाता है इस प्रकार के उत्तर का कारण राजनीतिक विद्वेष, जातिवाद, चुनावी प्रतिद्वंदिता भी हो सकती है, परंतु वास्तविक रूप से जो लोग शामिल नहीं हो पा रहे उन्हें शामिल करने का प्रयास पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, साथ ही लोगों को भी राजनीतिक जागरूकता का परिचय देते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए ताकि गांव का समावेशी विकास संभव हो सके।

सच्चे लोकतंत्र की स्थापना राज्य के छोटे–छोटे घटकों के माध्यम से ही संभव है क्योंकि व्यक्तियों के पूर्ण विकास का अवसर वहीं प्राप्त है, राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी ने हमें ग्राम स्वराज का विचार दिया ऐसी शासन पद्धति में नागरिक सत्ता–नियंत्रित न होकर स्वयं नियंत्रित होंगे, वह प्रत्येक कार्य अपने सूझबूझ से करेंगे और जीवन की सारी बातों के लिए सरकार की ओर ताकने वाले नागरिक ना होकर नागरिक उत्तरदायित्व की उच्च भावना रखने वाले होंगे, सच्चा लोकतंत्र अर्थात स्वराज व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता और विकास के लिए कार्य करता है यह व्यक्ति की किसी सच्ची राजनीतिक पद्धति का अंतिम प्रेरक बल होता है, ऐसा सच्चा विकेंद्रीकृत लोकतंत्र संपूर्ण मानव जाति के लिए संदेश देने वाला होगा।

गांधी जी की इसी भावना को आत्म सात करते हुए सांसद आदर्शग्राम योजना के माध्यम से वास्तविक छोटे–छोटे गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया, आदर्श ग्रामों में 90% लोगों का मानना है कि नियमित ग्राम सभा की बैठक होती है, साथ ही ग्राम सभा की संरचना, बैठक अवधि, के संदर्भ में ज्ञान रखते हैं, जो उनकी राजनीतिक जागरूकता का परिचायक है ग्राम सभा में नवीन कार्य, कार्यक्रमों योजनाओं के क्रियान्वयन व निर्माण के समय ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन लिया जाता है जो सहभागी लोकतंत्र का आदर्श प्रस्तुत करता है।

ई–शासन, स्वशासन की स्थापना का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसके माध्यम से मजबूत, जवाबदेह, ग्राम सभाओं का गठन होगा

जो स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना करेंगे एवं यह आदर्श गांव सुशासन के आधार स्तंभ होंगे।

ई–शासन का प्रयोग सांसद आदर्श ग्राम योजना में बेहतर तरीके से हुआ है, जैसे ग्राम सभा की बैठक की जानकारी 38.66% लोगों को मोबाइल द्वारा प्राप्त होती है जो की अन्य साधनों में सर्वाधिक है, पंचायत के कार्यों की सूचना भी 42.33% लोगों को मोबाइल के माध्यम से प्राप्त होती है, उत्तरदायी व जवाबदेही शासन की स्थापना के लिए सिटीजन चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से समयबद्धढ़ंग से सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित की जाती है, सुशासन के इस आधारस्तंभ को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव में 63.66% उत्तरदाताओं ने समयबद्धढ़ंग से सेवाओं की प्रदायगी की बात को स्वीकार किया है जो एक सुखद एवं उत्साह जनक स्थिति का धोतक है।

शोध के उद्देष्य के घटक के रूप में ई–पंचायत की स्वशासन में भूमिका की स्थिति का मूल्यांकन करना है, प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि ई–पंचायत से राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि करके राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि सुनिश्चित की जिससे वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना को बल मिला एवं स्वशासन के माध्यम से सुराज का मार्ग प्रषस्त हुआ।

संदर्भ सूची

1. https://www.india.gov.in
2. कलाम एपी जे अब्दुल, सिंह श्रीजन पाल (2011) ''टारगेट 3 मिलियन'', पेन्गुइन बुक्स, दिल्ली पेज 09
3. https://consusindia.gov.in
4. डा मीना जनक सिंह'' (2010) ''ग्रामीण विकास के विविध आयामष ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पेज. 11
5. गाँधी महात्मा (2015) ''ग्राम स्वराज'' सातवां संस्करण नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद, गुजरात पेज 10
6. गांधी महात्मा (2015) ग्राम स्वराज' सांतवा संस्करण नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद, गुजरात पेज 08
7. https://saanghi.gov.in